

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग


अधिसूचना

पटना, दिनांक- 17/3/16

सं०सं०-17/विविध 2-02/2016- 191 (17)
नारायण सिंह, सीनियर रेजिडेन्ट, औषधि विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया को जनवरी, 2015 से लगातार बीमार रहने एवं इस दौरान दो बार आई0सी0यू0 में भी भर्ती रहने के कारण उनके लिए दायित्व का निर्वाह करना संभव नहीं रह गया है।

डा0 सिंह को स्वास्थ्य कारणों से बिहार स्वास्थ्य सेवा संहिता के नियम 74(ख) में निहित प्रावधानों के आलोक में अधिसूचना निर्गत की तिथि से ऐच्छिक सेवा निवृत्त की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-17/विविध 2-02/2016- 191(17) स्वा0/पटना, दिनांक- 17/3/16

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि- महालेखाकर, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया/डा0 आशीष नारायण सिंह, सीनियर रेजिडेन्ट, औषधि विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के निजी सहायक/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य (श्री वर्मा)/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी, प्रशाखा-17), स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-1, 2 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव।